

प्र.क. आर पीबीआर/2013

74

प्रस्तुती दिनांक : 14/03/2013

C.F. 13-3-13

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैंप, इन्दौर

R-1271-PBM/13

1. बद्रीलाल पिता रुग्गा कुलम्बी
2. कैलाश पिता बद्रीलाल कुलम्बी
3. दिनेश पिता बद्रीलाल कुलम्बी

सभी निवासी - ग्राम कोद तह. बदनावर जिला धार म.प्र.

4. खेमराज पिता पूजा भील
5. बद्रीलाल पिता पूजा भील

दोनों निवासी - ग्राम नागझिरी तह. बदनावर

जिला धार म.प्र.

..... प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता

श्री अजय श्रीवास्तव

विरुद्ध

अभिभाषक द्वारा  
आज दिनांक 14-3-13  
कोर्ट केम्प पर  
उस्तुत।

1. पूनमचंद पिता तोलाराम कुलम्बी
2. रामनारायण पिता पूनमचंद कुलम्बी

दोनों निवासी - ग्राम कोद तह. बदनावर

जिला धार म.प्र.

..... रेस्पॉडेन्ट

14-3-13



निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील बदनावर जिला धार द्वारा रा.प्र.क. 23/अ-13/2011-12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.02.2013 से असंतुष्ट व व्यथित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1271-पीबीआर/2013 जिला धार

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 19-12-18         | <p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । अतः प्रकरण में आवेदकपक्ष दिनांक 6-2-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p><br/>अध्यक्ष</p> <p><br/>(मनोज गोयल)<br/>अध्यक्ष</p> |                                      |